रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1971 (ज्येष्ठ 8, 1893)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1971 (JYAISTHA 8, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 3
(PART III—SECTION 3)
लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
(Notifications relating to Minor Administrations)

दादरा और नगर हवेली का संघ प्रदेश

क्रमांक ए० डी० एम०/एल० ए० डब्ल्यू०/53 (26 (II)—सन् 1899 का भारत स्टाम्प अधिनियम (सन् 1899 का दूसरा) की कलम 74 से और सन् 1870 के न्यायालय शुल्के अधिनियम की कलम 34 से प्रप्त अधिकारों अन्वये मैं, नकुलसेन प्रशासक, दादरा और नगर हवेली ने उपयुक्त दादरा नगर हवेली संघप्रदेश में स्टाम्प सप्लाई करने और बिक्री के लिए, ऐसा बिकाय किन व्यक्ति द्वारा करना यह तय करने के लिए और ऐसी व्यक्तियों की फर्जे और पारिश्रमिक नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम किये हैं, जैसे कि :—

(1) छोटी संज्ञा :—यह नियमों ने सन् 1970 का दादरा और नगर हवेली के स्टाम्प सप्लाई और इनके बिकाव बारे में नियम बनाना ।

(2) व्याख्याएं :—इस नियमों में संदर्भ पर से अन्यथा अपेक्षित हो वे सिवा ।

(अ) "अनुसूचि" का अर्थ इस नियमों की साथ जुड़ी हुई अनुसूचि,

(ब) "विक्रेता" का अर्थ इस नियम अनुसार नियुक्त किया हुआ स्टाम्प विक्रेता ।

भाग पहला

सन् 1899 का भारत स्टाम्प अधिनियम अनुसार ड्यूटी अदायगी में उपयोगी स्टाम्प बिकाव के नियमें :—

3. पद के नाते विक्रेताओं की नियुक्ति के बारे में :—

1. प्रशासक निश्चित अधिकारियों को पद के नाते विक्रेताओं की नियुक्ति कर सकेगा ।
2. मध्यस्थ खजाना सिलवासा के खजाना अधिकारी पद के नाते विक्रेता गिन लिया जायेगा ।
3. पद के नाते विक्रेताओं को प्रशासक के निर्देष किये मुताबिक ऐसे स्टाम्प का बिकाव करना ।

4. लायसेंस प्राप्त विक्रेताओं की नियुक्ति के बारे में :—

1. समाहर्ता और इसके लिये प्रशासक ने दिये गये दूसरे कोई भी अधिकारी निश्चित शख्सों को लायसेंस प्रप्त विक्रेताओं के तौर पर नियुक्ति कर सकेगा ।
2. लायसेंस प्रप्य विक्रेताओं को उनके परवाने में निर्दिष्ट किये हों वैसे स्टाम्प और उतने ही मूल्य के स्टाम्प बेचना ।
3. स्टाम्प बेचने के लिए लायसेंस प्रप्य विक्रेताओं के कामकाज के दिनों में सुबह 10-45 से साम के 4-45 के बीच स्टाम्प बेचना ।

5. 250 रुपयों से अधिक मूल्य के लायसेंस देने के लिए प्रशासक की इजाजत लेने के बारे में :— जब रुपये 250 से अधिक मूल्य के स्टाम्प वाले कागज पर उपसाये हुए और खुदा हुआ स्टाम्प बेचने के लिए परवाना देना होगा कि लोगों की सुविधा के लिये जरूरी हों तब प्रशासक की इजाजत प्रप्त करना ।

6. लायसेंस का प्रपत्र :—नियम 4 अनुसार हर एक परवाना अनुसूचित 'अ' के प्रपत्र अनुसार होना चाहिए ।

7. लायसेंस रद्द करने के बारे में :—हरएक लायसेंस प्रशासक द्वारा और वह देने वाले प्राधिकारी द्वारा कोई भी समय में रद्द होने योग्य होगा ।

8. बट्टा चुकाने के दरें :—

1. अनुसूचि 6'ब' में निर्दिष्ट किये दर अनुसार लायसेंस विक्रेताओं को बट्टा चुकाना ।

2. लायसेंस विक्रेताओं को रुपये 250 से अधिक मूल्य के स्टाम्प वाले कागज पर उपसाये हुए या खुदा हुआ हरएक स्टाम्प के मोल पर कुछ भी बट्टा मत चुकाना ।

3. स्टाम्प बिक्री पर लोगों को कुछ भी बट्टा मत चुकाना ।

9. स्टाम्प पर पृष्ठांकन और पंजीकरण में टीप करने के बारे में :—

1. हरएक पद के नाते विक्रेताओं अथवा लायसेंस विक्रेताओं को अपने हस्ताक्षर में, इस्टाम्प वाले कागज पर उपसाये हुए या खुदा हुआ स्टाम्प वह बेचता हो ऐसे हरएक स्टाम्प पर स्टाम्प के निशाने से बिलकुल नीचे, अनुक्रमांक, बेचने की तारीख, मोकलने वाले का (जैसे कि जिसके लिए स्टाम्प खरीदा गया हो वह व्यक्ति का) नाम और आवास स्थान शब्दों में स्टाम्प की परिपूर्ण कीमत और अपना सामान्य हस्ताक्षर करना और उसी समय पर ही, अनुसूचि "क" में दिये प्रपत्र के अनुसार रखे हुए पंजीकरण में तत्स्थानी टीप करना ।

2. पद के नाते अथवा लायसेंस विक्रेता कोई भी बिक्रीकार ने बेचे हुए स्टाम्प पर जान बुझकर गलत पृष्ठांकन नहीं करना अथवा अपने पंजीकरण में गलत टीप मत करना ।

10. खरीदने वालों को हस्ताक्षर करना अथवा अंगूठा का निशान लगाने के बारे में :—

1. हरएक पद के नाते बेचनेवाले अथवा लायसेंस विक्रेता जब कोई भी व्यक्ति स्टाम्पवाले कागज पर उपसाये हुए या खुदा हुआ स्टाम्प खरीदें, तब खरीदने वाले को स्टाम्प का ऐसा बेचने वाले का बिक्री पृष्ठांकन अनुसार और नियम 9 मुताबिक रखे हुए पंजीकरण में बिक्री के अनुरूप टीप के सामने (देखो अनुसूचि 'ड' का अनुदेशी) भी, जो वह शिक्षित व्यक्ति हों तो उनका हस्ताक्षर लेना, और जो वह अशिक्षित व्यक्ति हों तो उनके अंगूठे की निशान लगानि के लिये कहना ।

2. आवेदक अथवा लायसेंस वाला अंगूठे का स्पष्ट निशान दे सके वैसा हो ऐसा संतोषजन्य प्रमाण मिलें इसके सिवा स्टाम्पवाले कागज पर उपसाये हुए अथवा खुदा हुआ स्टाम्प बेचने के लिए नया लायसेंस मत देना और जिस लायसेंस की अवधि बीत गई हो वह लायसेंस इस अर्थ में निर्दिष्ट करने के समय बाद नूतन नहीं करना ।

11. बेचने वालों को जरूरी कीमत का एक ही स्टाम्प अथवा सबसे छोटा स्टाम्प पूर्ण करने के बारे में :—

1. जब पद के नाते बेचने वालों को या लायसेंस विक्रेता स्टाम्पवाले कागज पर उपसाये हुए अथवा खुदा हुआ निर्दिष्ट की हुई कीमत का और ऐसा स्टाम्प विक्रेता बिक्री के लिये अधिकृत हों वैसी अधिक-से-अधिक कीमत से, अधिक कीमत के न हों वैसे स्टाम्प के लिए आवेदन किया जाय, तब उसे जो वह पूर्ण कर सकें ऐसा हों, तो जरूरी कीमत का एक स्टाम्प पूर्ण करना ।

2. जो ऐसा विक्रेता स्टाम्पवाले कागज पर उपसाये हुए अथवा खुदा हुआ जरूरी कीमत का स्टाम्प पूर्ण न कर सकें तो जरूरी कीमत के साथ सुसज्जित करके वह पूर्ण कर सकें ऐसा हो तो स्टाम्प के छोटे से छोटी संख्या में स्टाम्प खरीदने वाले को पूर्ण करना ।

12. एक ही लेख पर शुल्क के लिए रुपये 250 से अधिक कीमत के दो अथवा इससे ज्यादा स्टाम्प विक्रेता को नहीं बेचना:—

1. एक ही लेख के लिए जरूरी कीमत के रुपये 250 से अधिक कीमत के समग्र स्टाम्प जैसे हों वैसे केन्द्रीय राजकोष, सिल्हवासा में प्रत्यक्ष ही खरीदना ।

2. कोई भी लायसेंस विक्रेता को एक ही लेख के स्टाम्प शुल्क के, हेतु के लिए जरूरी रु० 250 से अधिक कीमत के स्टाम्प के सिवा उस जगह में इस्तेमाल करके लिया इससे कम कीमत के दो अथवा इससे अधिक स्टाम्प लोगों को मत बेचना ।

3. हरएक लायसेंस विक्रेता स्टाम्प शुल्क हेतु के लिए एक ही लेख पर जरूरी कीमत के रु० 250 से अधिक कीमत के स्टाम्प अथवा रु० 150 से अधिक कीमत के औसत स्टाम्प जैसे हों, वैसे केन्द्रीय राजकोष सिल्हवासा में से खरीदा जायेगा और एक ही लेख पर स्टाम्प शुल्क के ईत्यार्थ रु० 250 से अधिक कीमत के जरूरी एक स्टाम्प के बदले इस्तेमाल के लिये इससे छोटी कीमत के दो अथवा अधिक स्टाम्प बेचने के लिए लायसेंस विक्रेताओं को निसिद्ध किया जाता है ऐसा दर्शन देती हुई नोटिस अपने स्थल पर लगाना ।

13. विक्रेता के ओर से बिना विलंब किये स्टाम्प भेजने और स्टाम्प की कीमत से अधिक कोई भी शुल्क का स्वीकार नहि करना:—हर एक लायसेंस विक्रेता बिना विलंब बिक्री के लिए समाहर्ता द्वारा प्रशासक जरिये स्वीकार कर सकें वैसा हों ऐसा कोई भी मुद्रा में उनकी कीमत देनेवाला कोई भी व्यक्ति की ओर से मांग होने से, उनके अपने कब्जे में हो वैसा कोई भी स्टाम्प भेजना । लायसेंस विक्रेता

ऐसे स्टाम्प की कीमत से अधिक हो वैसा कोई भी शुल्क स्टाम्प के लिये मांग अथवा स्वीकार नहि करना ।

14. जिसका इस्तेमाल बंध किया हो वैसा स्टाम्प विक्रेता द्वारा बेचना नहि :—पद के नाते कोई भी बेचने वाले अथवा लायसेंस विक्रेता समक्ष प्राधिकारी से जिसका इस्तेमाल बंध करने का हुक्म किया गया हो ऐसा कोई भी स्टाम्प मत बेचना ।

15. विक्रेताओं को हिसाब रखने के बारे में :—लायसेंस विक्रेताओं को रखने के और देने के हिसाब प्रशासक की ओर से तय किये प्रपत्र अनुसार रहेगा ।

16. सुरक्षा बंध कर देने के बारे में :—

1. समग्र लायसेंस विक्रेताओं को अनुसूचित 'इ' के प्रपत्र अनुसार सुरक्षा बंध लिख देना । सुरक्षा की रकम समाहर्ता अथवा परवाना देनेवाले दूसरे अधिकारी को हरएक केस में निश्चित करना और सिर्फ नगद पैसे देने से ही विक्रेताओं को स्टाम्प अंशतः पूर्ण कर दिया जाता है, सो वह अधिक न होना चाहिये ।

17. विक्रेता को स्टाम्प भेजने और ऐसे स्टाम्प के लिए रकम देने के बारे में :—

1. (अ) परवाना विक्रेता, उसके कब्जे में से कोई भी स्टाम्प भेजने की छुट्टी के बारे में आवेदन कर देने से अथवा उनको परवाना छोड़ने से वह भेज सकेगा ।

(ब) समाहर्ता अथवा इस अर्थ में प्रशासक उचित रति से अधिकृत किये हुए दूसरे अधिकारी किसी भी समय में मांग करने से उनके कब्जे में शेष रहे हुए स्टाम्प वाले कागज पर, उपसाये हुए अथवा खुदे हुए समग्र स्टाम्प लायसेंस विक्रेता को भेजना ।

2. लायसेंस विक्रेता को दी हुई स्टाम्प की कीमत और भेजे हुए स्टाम्प की देनगी निम्नलिखित विषयों के आधिन रहकर करना जैसे कि:—

(अ) भेजे हुए समग्र स्टाम्प की संपूर्ण कीमत के रुपया अथवा रुपये के अनुभाग के लिए छ पैसे का कमिशन निम्नलिखित संजोगाधिन करना जैसे कि:—

1. बेचनेवाला अपना लायसेंस छोड़ देने से—

2. लायसेंस विक्रेता बेचनेवाले के पक्ष में हुए कोई भी कसूर के लिए परवाना रद्द कर देने से,—

3. अपने परिग्रह में हो ऐसा कोई भी स्टाम्प फिरसे देने संबंधित छुट्टी के लिए लायसेंस विक्रेता आवेदन करने से—

(ब) भेजे हुए स्टाम्प पर बेचनेवाला खरीद करने से दिया गया बट्टा कोई भी हो तो उनका ही कमिशन निम्न संजोगाधिन करना जैसे कि:—

1. लायसेंस पूर्ण होने से,

2. प्रशासक फिरसे स्टाम्प मांगने से,

3. लायसेंस वाले के पक्ष में हुई कसूर सिवा कोई भी कारण के लिए परवाना रद्द कर देने से,

4. परवाना विक्रेता की मृत्यु होने से,

लेकिन इस नियम अनुसार भेजे हुए स्टाम्प की कीमत के रिफंड के लिए आवेदन लायसेंस नष्ट करने की अथवा लायसेंस विक्रेता के मृत्यु की अथवा लायसेंस रद्द होने की तारीख के छः महीने के अंतर्गत सामान्यतः करना चाहिए, लेकिन खास किस्से में मंजूरी देनेवाला प्राधिकारी ऐसी दिनांक के दो साल के अंतर्गत किये हुए आवेदन का स्वीकार कर सकेगा ।

भाग दूसरा

न्यायालय फिस स्टाम्प प्रदाय के लिये नियमों :—

18. लायसेंस विक्रेताओं की नियुक्ति के बारे में :—

1. समाहर्ता अथवा इस अर्थ में प्रशासक ने नियुक्त किये हुए कोई भी अधिकारी, न्यायालय फीस स्टाम्प की बिक्री के लिए लायसेंस विक्रेता स्टाम्प बेचनेवालों को नियुक्त कर सकेगा ।

2. स्टाम्प बेचने के लिए लायसेंस विक्रेताओं को कामकाज के दिनों में सुबह के 10-45 और शाम के 4-45 बीच में स्टाम्प बेचना ।

19. न्यायालय फीस स्टाम्प बिक्री के सियाद के बारे में :—लायसेंस विक्रेता प्रशासक की पूर्व मंजूरी लेकर, इस अर्थ के लिए उसे दिये लायसेंस आधीन हों वे सिवा रुपये 125 अथवा इससे अधिक कीमत का निशान लगाया हुआ कोई न्यायालय फीस स्टाम्प मत बेचना ।

20. परवाने का प्रपत्र और उसे रद्द करने के बारे में:—हरएक लायसेंस, प्रशासक अथवा वे देनेवाले प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय में रद्द होने उचित होगा । हरएक लायसेंस में, लायसेंस वाले का नाम, वे लायसेंस मुताबिक बेचने योग्य हों ऐसा स्टाम्प का बिकाव और बिक्री का स्थल निर्दिष्ट करना और वे देनेवाले प्राधिकारी को उस पर हस्ताक्षर करना लायसेंस अनुसूचित 'फ' में दिये प्रपत्र अनुसार होना चाहिए ।

21. बटाव का शुल्क :—न्यायालय फीस स्टाम्प के लायसेंस विक्रेता बट्टा निम्नलिखित शुल्क पर भेजेगा :—

स्टाम्प का भेद	बटाव का दर
रु० 1 अथवा इससे कम कीमत के स्टाम्प पर	0-94 पैसे
हरएक रु० 1 से अधिक भी रु० 125 से कम कीमत के स्टाम्प पर	0-70 पैसे

22. नगद पैसे देकर बेचनेवालों को स्टाम्प खरीदने के बारे में लायसेंस विक्रेताओं को खरीदे हुए न्यायालय फिस स्टाम्प के लिए नगद पैसे देने में उनके लिए जरूरी होगा । रु० 125 अथवा इससे अधिक कीमत के कोई भी बट्टा स्टाम्प बिकने वालों की हुई खरीदी के लिए कुछ भी बट्टा नहीं दिया जायेगा ।

23. स्टाम्प पर शेरा करने और पंजीकरण में उनकी नोंध करने के बारे में :—

1. चिपक जाय ऐसा न्यायालय फिस स्टाम्प के केस में, हरएक पद के नाते बेचने वाले अथवा लायसेंस विक्रेता, स्टाम्प कागज पर प्रबंध की हुई खाली जगह में अपने हस्ताक्षर में, खरीदनेवाले का नाम, बिक्री की तारीख लिखना और अपना हस्ताक्षर करना ।

2. निशान लगाये न्यायालय फिस स्टाम्प के केस में हरएक लायसेंस विक्रेता बेचने वालों ने, वह बेचना हो ऐसा हरएक स्टाम्प की हरएक किताब पर, बिक्री की तारीख, खरीदने वाले का नाम, और शब्दों में स्टाम्प की संपूर्ण कीमत लिखना और अपनी सामान्यतः हस्ताक्षर करना ।

3. कानून 24 में निर्दिष्ट प्रपत्र अनुसार उसने रखे हुए पंजीकरण में चिपक जाय ऐसा और निशानवाला न्यायालय फिस स्टाम्प के बारे में तत्स्थानी नोंधे उसे उसी ही समय करना । ऐसा किसी भी बेचने-वाले ने जान बुझकर बेचे हुए स्टाम्प पर असत्य शेरा मत करना या उनके पंजीकरण में असत्य नोंध करना नहि ।

24. विक्रेता को बिना विलंब किये स्टाम्प भेजने के बारे में न्यायालय फिस स्टाम्प का हरएक लायसेंस विक्रेता बिना विलंब किये उनकी कीमत देनेवाला किसी भी शख्स की ओर से मांग होने से बिक्री के लिए अपने पास हों ऐसा कोई भी स्टाम्प भेजना होगा ।

25. जिसका इस्तेमाल बंध किया हो ऐसा स्टाम्प विक्रेता को बेचना नहि :—पद के नाते बेचनेवाले अथवा लायसेंस विक्रेता समक्ष प्राधिकारी को जिसका इस्तेमाल बंध करने का हुक्म दिया हो वैसा कोई भी स्टाम्प मत बेचना, ऐसा इस्तेमाल बंध करने का ऐसा हुक्म की तारीख से दे महिने के अंतर्गत ऐसा स्टाम्प डिपो में फिरसे भेज देने से, उसकी कीमत बाद जिस बटाव की उनको छुट्टी दी गई हो वैसा कोई भी बटाव की रकम फिरसे प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

26. विक्रेता को हिसाब रखने के बारे में :— हरएक बेचने-वाले प्रशासक नियत करे वैसे हिसाब रखने और सौंपने और समाहर्ता को या प्रशासक को उचित रीत से अधिकृत किये हुए किसी भी अधिकारी को किसी भी समय में ऐसा हिसाब का और नियम 23 अनुसार उसे रखने का आदेश हो वैसा पंजीकरण का निरीक्षण करने की और उनके कबजे में हों वैसा स्टाम्प का गल्ला तलाश करने की छुट्टी देना ।

27. विक्रेता को स्टाम्प भेजना और इस तरह स्टाम्प भेजने के बदले में चुकाने के बारे में :—

1. (अ) हरएक विक्रेता को समाहर्ता या प्रशासक ने उचित रीत से अधिकृत किये दूसरा कोई भी अधिकारी किसी भी वक्त मांग करने से अपने कबजे में शेष रहे सभी स्टाम्प भेजना और

(ब) 1. वैसा करने के संबंध में छुट्टी के लिए आवेदन कर देने से अथवा

2. अपना लायसेंस नष्ट होने से,

अपने कब्जे में शेष सभी स्टाम्प भेज सकेगा ।

2. जिनके लिए विक्रेता ने पैसे दिये हों और वे भेजा गया हो वैसे स्टाम्प की कीमत देनगी, निचे दिये अनुसार कमिशन के आधिन रहकर करना, जैसे कि :—

(अ) भेजे हुए समग्र स्टाम्प की पूर्ण कीमत के रुपये अथवा रुपये के लिए छे पैसे की कपात निम्न संजोगाधिन करना, जैसे कि:—

1. बेचनेवाला अपना लायसेंस नष्ट किये से,

2. लायसेंस विक्रेता के पक्ष में हुई कोई भी कसूर के बदले लायसेंस रद्द कर देने से,

3. अपने कबजे में हों वैसा कोई भी स्टाम्प फिरसे देने के संबंध में छुट्टी के लिए लायसेंस विक्रेता को आवेदन करने से ।

(ब) भेजे हुए स्टाम्प पर, बेचनेवाला खरीद करने से, दिया गया बट्टा, जो कोई भी हो तो उसकी ही कपात निम्न संजोगों में करना, जैसे कि :—

1. लायसेंस पूर्ण होने से,

2. लायसेंस वाले के पक्ष में हुई कसूर सिवा कोई भी कारण के लिए लायसेंस रद्द कर देने से,

3. लायसेंस विक्रेता स्टाम्प विक्रेता की मृत्यु होने से, लेकिन इस नियम अनुसार भेजे हुए स्टाम्प की कीमत का रिफंड लिए आवेदन, परवाना नष्ट करने की अथवा लायसेंस विक्रेता की मृत्यु की अथवा लायसेंस रद्द होने के दिनांक के छः महिने के अंतर्गत सामान्यतः करना चाहिए, लेकिन प्रमुख केसों में समाहर्ता एसी तारीख के एक साल की अंदर किया हुआ आवेदन का स्वीकार कर सकेगा ।

28. रखनेवाले पंजीकरण का प्रपत्र :—नियम 23 आधिन रखने के लिए पंजीकरण अनुसूचि 'ग' के प्रपत्र अनुसार होना चाहिए ।

29. पद के नाते विक्रेताओं की सारणी के बारे में :— पद के नाते कोई न्यायालय फिस स्टाम्प विक्रेता को जिस कार्यालय में स्टाम्प बेचने का कार्य करना हो पैसे कार्यालय के प्रमुख को जरूरी हों तो वे अपनी फर्ज की योग्यता के लिए, सारणी देने का आदेश कर सकेगा । प्रस्तुत केस में आवश्यकताओं को भेजने के लिए बोण्ड की शरतों खास तौर पर बन सकेगी ।

काबो राज निवास, नकुल सेन
करान्जालेम, प्रशासक,
पनजी, दिनांक : 20-8-70 दादरा और नगर हवेली

अधिसूची अ

(देखो नियम 6)

लायसेंस का प्रपत्र

"प्रति (यहां लायसेंस वाले का नाम दर्ज करना)

सन् 1899 का भारत स्टाम्प अधिनियम मुताबिक

तारीख----------

सन् 1899 का भारतीय स्टाम्प अधिनियम (सन् 1899 का दूसरा) और तत्समय अमल में हों वैसा उस मुताबिक किये नियमों का उपबंधाके आधीन रहकर, उनको इसलिए---------- में का (हां स्थल लिखना) ----------लिये, यहां, जहां स्टाम्प बेचना हों वे घर का क्रमांक और महोल्ले का नाम इत्यादि दर्ज करना) निम्न ब्यान का (जैसे कि) यहां स्टाम्प का ब्यान लिखना) स्टाम्प बेचने के लिये अधिकृत कर दिया है ।

समाहर्ता

(अथवा नियम 4 मुताबिक अधिकार दिये दूसरे अधिकारी)

अनुसूची ब

(देखो नियम–8)

लायसेंस विक्रेताओं को बट्टा देने के दरें :

स्टाम्प का प्रकार	जिस प्रसंग में पद के नाते बेचने वालों को स्टाम्प बेच दिया हो वे प्रसंग में	जिस प्रसंग में पद के नाते बेचने वालों को स्टाम्प नहीं बेच दिया हो वे प्रसंग में
1	2	3
नोट:–ज्युडिशियल स्टाम्प	टका रु० पैसे	टका रु० पैसे
रु० 5 की रकम से कम न हों उतने समूह में हरएक रु० 0–50 पैसे की कीमत से अधिक न हों वैसे स्टाम्प पर .	2–81	3–75
रु० 50 की रकम से कम न हों उतने समूह में हरएक रु० 0–50 पैसे की कीमत से अधिक हों, लेकिन रु० 5 से अधिक न हों वैसे हरएक स्टाम्प पर .	1–40	1–87
रु० 100 की रकम से कम हों उतने समूह में, हरएक रु० 5 की कीमत से अधिक हों लेकिन रु० 50 की कीमत से कम न हों वैसे हरएक स्टाम्प पर .	0–94	0–94
निशान लगाये स्टाम्प "हुंडी" शब्द-वाला हों वैसा स्टाम्प भी स्टाम्पवाले कागज पर उपसाये हुए अथवा खुदे हुए स्टाम्प पर . . .	2–81	3–75

अधिसूची क

(देखो नियम 9)

पंजीकरण का प्रपत्र

तारीख	अनुक्रमांक	स्टाम्प का बयान	स्टाम्प की कीमत

खरीदने वाले का नाम	खरीदने वाले का आवास स्थान	खरीदने वाला अथवा उनके अजेन्ट का हस्ताक्षर अथवा उनके बायें हाथ के अंगूठे का निशान

अनुसूचि ङ

(देखो नियम 10)

स्टाम्प वाले कागज़ात को खरीदने वालों के अंगूठे की निशान लेने के संबंध में बेचने वालों को देने का अनुदेशों :—

1. स्टाम्प वाले कागज पर उपसाये हुए अथवा खुदे स्टाम्प का हर एक खरीदने वाले ने हुंडी के स्टाम्प वाले काग़ज के केस में वे काग़ज के शीर्षक की उलटी ओर से और दूसरे स्टाम्प के केस में स्टाम्प पर और बेचने वाले बिकाव के पंजीकरण में बिक्री की नोंध के सामने ओर से भी जो वे खरीदने वाला शिक्षित व्यक्ति हों तो उनके हस्ताक्षर और जो वे अशिक्षित व्यक्ति हों तो उनके बायें हाथ के अंगूठा के नोक के गोल भाग का निशान बिकाव संबंध के विक्रेता के शेरा की निम्न स्टाम्प पर ही रखने के लिये कहना ।

नोट:—परदानशीन स्त्रीयों को भी समग्र केसों में उनके अंगूठा का निशान लगाने के लिये कहना चाहिये ।

2. जो कोई अशिक्षित खरीदने वाले अपने बायें हाथ का अंगूठा न हों तो अथवा जो उनका बायां अंगूठा इस तरह विरूप हुआ हो अथवा रोगिस्ठरों या वह उनका इस्तेमाल न कर सके तो उनके बदले उसके दायें अंगूठा के

गोल भाग का निशान अथवा किसी भी अंगुली की छाप ले सकेगा। ऐसे केसों में वैसी छाप लगाने के लिये बायें हाथ की कौन सी अंगुली का अथवा दायें हाथ का अंगूठा या अंगुली का इस्तेमाल किया गया है वे निर्दिष्ट और बायें अंगूठा का निशान किस लिये न ली गई उस बार समझाती हुई नोंध ऐसे निशान के नीचे करना (अंगूठा बाद की दूसरी अंगुली से शुरूआत करना) हाथ की अंगुलियों का बयान करना जैसे कि पहली और प्रथमा अंगुली, दूसरी अथवा मध्यमा अंगुली, तीसरी अथवा रींग पहनने के लिये (अनामिका) अंगुली और चौथी अथवा टचली (कनिष्ठिका) अंगुली ।

3. एक या दो टीन के प्लेटस एक रोलर और छपाव की साही साथ के माल की यादी परसे, मुद्रण, सामग्री दफ्तर की ओर से पद के नाते बेचने वालों को वे पूर्ण कर दिया जायेगा। छपन की साही का एक अथवा दो बिंदु साही के प्लेट पर डालना और रोलर द्वारा वह प्लेट पर वे सही रील से रख देना साही का जथ्था उसका बड़ा न होना चाहिये की वे पतरे का रंग जानकारी में रूकावट न आवे। खरीदने वाले का बायें हाथ का अंगूठा लेना और वह अंगूठा का गोल भाग साफ करने के बाद साही लगाये हुए पतरे पर वह रखना और एक ओर से दूसरी ओर तक घुमाना (मगर घिसना मत) और परिपूर्ण वह साही वाला न हो जाय वहां तक ओपरेटर का ही हाथ की मदद से, धीरे से फिर जोर से वे दबाना और साहीवाला वह अंगूठा, जिस कागज पर निशान लेना हों वह कागज पर रखना, और धीरे से और सुविधा के साथ, उस पर इस तरह गोल घुमाना कि जिससे वह अंगुठा के आगे का समग्र गोल भाग की एक ओर से दूसरी ओर तक की छाप उन पर स्पष्टता से पड़ें। हर एक निशान के लिये वह अंगूठे को फिर से साहीवाला करना। इस बात अवश्य लक्ष्य में लेना चाहिये कि अंगूठा दबाते वकत अथवा वह लेते वकत कोई भी प्रकार की उलटी हिलचाल से हाथ लगेगा और निशान बिगड़ जायेगा ।

4. बेचने वाले की वैयक्तिक देखभाल मुताबिक अंगूठा का निशान लगाने का काय करना और बेचने वाले हर एक निशान के सामने अपनी छोटी साही करना ।

5. जब रोलर का इस्तेमान न किया जाय तब उसे उनकी नली किसी को स्पर्श न करें इस तरह उसके हथ्थे आगे की ठंडी जगह में बांध रखना ।

जिस दिन रोलर का इस्तेमाल किया गया हों उस दिन बाद की सुबह में उस रोलर को पानी में मिश्रण किये हुए वाशिंग सोडा वाले पानी द्वारा पहले धोना और अन्त में सादा पानी से धो डालना ।

अनुसूचि इ

(देखो नियम 16)

इस रजूआत से सभी लोगों को खबर कर दी जाती है कि हम .....के रहने वालों अ० ब० ------के रहने वालों क० ड० और ----------के रहने वालों इ० फ०; ------भारत के प्रमुख को अथवा उनके नियत अेटर्नी अजन्ट उत्तराधिकारियों, अथवा नाम बदली कर देने वालों को भारत में उचित और कानून मुताबिक चलनी नाणांका रु० ------की रकम, दादरा, और नगर हवेली के प्रशासक, (जिसका इसमें अब सरकार के लिये उल्लेख किया है वह) को देने के लिये बंधे हैं और उनकी देनकी उचित और सबसे करने के लिये हम खुद और हमारे में से हर एक और हमारे अपने अपने वारसों; एक्ज़ीक्युटरों, वही बटदारें और प्रतिनिधियों इस रजूआत से एक मत से एकाजते बंध हुए हैं ।

हमारे अपने अपने सीलों द्वारा सील किया ।

रिप्रस्ति वर्ष एक हजार नवसो और ------वर्ष के ----- महीने की--तारीख .

सन् 1899 का हिन्दुस्तान स्टाम्प अधिनियम की कलम 74 मुताबिक बनाये हुए इस अर्थ के नियमों का उपबंध अनुसार सरकार सिवा --------जगह स्टाम्प बेचने के लिये उपयुक्त बंधे हुए क० ड० और इ० फ० उसे उक्त अ० ब० जिम मुदत तक स्टाम्प का ऐसा बेचने वाला होगा अथवा रहेगा वे समग्र मियाद तक और उस मियाद दरमियान, वह अपनी उक्त अधिकार की फर्ज का सख्त पालन करेगा औ स्टाम्प का समग्र बेचने वालों को पालने का जिस नियमों उक्त अधिनियम मुताबिक स्थापित किया गया हों अथवा वह अधिनियम में उल्लेखित किया गया हों वे सभी या हर एक नियमों उक्त नियमों की और उस सिवा का हर एक नियम की सही मतलब और अर्थ अनुसार सख्त पालन करेंगे और उक्त अ० ब० जिस मियाद तक स्टाम्प का ऐसा बेचने वाला रहेगा यह सभी मियाद तक और इस मियाद के दरमियान समाहर्ता आदेश करें वैसे भविष्यत, के कार्यों, वह आदेश देगा वैसे मुजरिम सहित और वह आदेश वैसा प्रपत्र मुताबिक सख्त रीत से करेगा उस बदले भी उक्त अ० ब० का जामीन अथवा जामीन के लिये इसे नीचे लिखी हुई शर्तों के आधीन रहकर, उपयुक्त लिखे खत अथवा जिम्मेदारी में उनके साथ शामिल होने के लिये तैयार हो रहे हैं, अब, उपयुक्त लिखे खत अथवा जिम्मेदारी की शर्त ऐसी हैं कि उपयुक्त बंधा हुआ अ० ब० जिस मियाद तक उपयुक्त कहे अनुसार स्टाम्प के ऐसा विक्रेता हों उसे समग्र मियाद तक और उस दरमियान, याने, उपयुक्त अ० ब० को जो स्टाम्प बेचने वाले का उक्त अधिकार की समग्र और हर एक फरजे उचित रीत से, सही से, प्रामाणिकता से, और सावधानी से किया होगा, बजाया होगा और सिद्ध किया होगा और वह इसे उक्त अ० ब० जिस मियाद तक स्टाम्प बेचने वाला चालु रहेगा वह सभी मियाद तक और उस मियाद के दरमियान, वह जो स्टाम्प के बेचने वाले उक्त अधिकारी की सभी और हर एक फर्ज उचित रीत से, सही रीत से, प्रामाणिकता से और सावधानी से करेगा, बजायेगा, और सिद्ध करेगा, और उसे जो उक्त अधिनियम में बताये अथवा उल्लेख किये हुए जिस नियम सभी स्टाम्प का बेचने वालों को पालने का हों वे सभी और हर एक नियम, वे सभी और उस सिवा के हर एक नियम का सही मतलब और अर्थ अनुसार, प्रामाणिकता से, उचित रीत से और उचित पालन किया हों सिद्ध किया हो, पूर्ण किया हों और वे अनुसार चला होगा

और जो वह उस मुताबिक प्रमाकिणता में ब्याजबी रीतसे और उचित पालन करेगा, सिद्ध करेगा, पूर्ण करेगा और वे अनुसार चलेगा तो, और उक्त अ० ब० के समाहर्ता आदेश करें एसे भविष्य के कार्यों वह आदेश देगा ऐसे गुन्हा सहित और वह आदेश दें वे प्रपत्र अनुसार उक्त अन्त में बताये अधिनियम की सही मतलब और अर्थ अनुसार उचित रीतसे, और सचमुच करेगा, बजायेगा, सिद्ध करेगा और वे मुताबिक चलेगा तो, और जो उक्त अ० ब० की उनके एक्झीक्युटर्गे की अथवा वही वटदारों की अथवा अजन्ट की गफलत, कसूर, नादारी अथवा गेरवर्तणूकसे, उनके लिये उसे करके अथवा उनके योग्य अथवा उसके अथवा उनके एकझीक्यूटरोंके अथवा वहीवटदारों को ऊपर कहे अनुसार स्टाम्पके बेचनेवाले के तौर पर उक्त अ०ब० ओर से सरकारकी जो कोई रकम उचित रीतसे लेणी हों अथवा देनगी हों उनका पुरा हिसाब तथा वे रकम उक्त सरकारको उनके उत्तराधिकारीओंको अथवा उनको नाम बदली करके देनेवालों को नहीं देनेसे योगसे अथवा उपर कहे अनुसार के स्टाम्प बेचने वालेके तौर से उक्त अ० ब० की गफलत, गेरवर्तणूक, बर्ताव अथवा नादारी के लिये अथवा उनके योगसे जिस घाटा तथा जिस नुकसान उक्त सरकारको होने की शंका हो अथवा होगी अथवा आने का संभव हों अथवा आयेगा, अथवा किसी भी एक अथवा अधिक वक्त सहन करने का संभव हों अथवा सहन पड़े वे घाटा तथा वे नुकसानके संबंध में तथा उनका याने उक्त सरकारका, उनके उत्तराधिकारीओंका तथा नाम बदली कर देने वालोंका, उक्त अ० ब० उनके वारसों एक्झीक्यूटरों तथा वहीवटदारों बचाव करेगा, तथा बिना हरकत रखेगा और रक्षण करेगा तो, और वैसी ही रीतसे नियमों अनुसार उनकी रुई अथवा उनके कारण से अथवा वह नियम सिवाके किसी भी नियम ऊपरसे अथवा भविष्य में किसी भी नियम अथवा अधिनियम वे अर्थमें स्टाम्पको बेचने वालोंकी उक्त फर्जों सम्बन्धित कानूनको उचित रूपमें पसार किया जाये अथवा आयेगा. वे उपरसे अथवा उनके ऊपर से स्टाम्प का एसा बेचनेवाले के तौरपर उक्त अ० ब० उस पर भी गिरे अथवा इसके बाद कोई भी वक्त गिरे हुए अथवा गिरने का संभव हों ऐसा कोई भी मुझरिम जप्ती लेणा अथवा नाणामें दूसरी रकमें अथवा उसे देने के दंडकी कोई भी रकम उसे तत्समय का ————————समाहर्त्ताको अथवा प्रशासक बार-बार निर्देष करें अथवा नियुक्ति करें ऐसा दूसरा अधिकारीका अथवा व्यक्तिके हाथमें जब तथा जितने वक्त ऐसे सभी अथवा कोई भी आरोपीयों जप्ती लेणां अथवा नाणां में दूसरी रकम अथवा रकमों उक्त अ० ब० के ऊपर ऐसी तरह अथवा उसे देनेवाली हो तब तथा उतनी वक्त, योग्य रीतसे अथवा सचमुच रीतसे देगें अथवा देनेका आदेश दें तो इस जिम्मेदारी निरर्थक होगी और अमल में नहि रहेगी लेकिन अन्यथा वे पूर्ण रूपसे चालु और अमलमें रहेगी ।

हमारी उपथ्स्थथ्तमें हस्ताक्षर किये,

सील किया और भेजी गई ।

(हस्ताक्षर)
अ० ब०
क० ड०
इ० फ०

अनुसूचि फ—

(देखो नियम —20)

क्रमांक तारीख

प्रति लायसेंस

सन् 1870 का न्यायालय फिस अधिनियमकी कलम 34 मुताबिक किये नियमों अनुसार उनको, इससे ————खाते (यहां घर का क्रमांक और महोल्ला अथवा न्यायालय अथवा जिलेका अथवा लत्त्ताका नाम और जिस स्टाम्प बेचनेमें आया हो वह दफ्तरका नाम दर्ज करना) निम्न बयानका (यानेकी यहां स्टाम्पका बयान दर्ज करना) न्यायालय फिस स्टाम्प बेचनेके लिये अधिकृत किया जा रहा है ।

(लायसेंस देनेवाले अधिकारी का हस्ताक्षर)

टीप्पण :—लायसेंस देनेवाले अधिकारी द्वारा किसी भी समयमें इस लायसेंस रद होने योग्य है ।

अनुसूचि —ग

(देखो नियम —28)

पंजीकरण का प्रपत्र

तारीख	स्टाम्प का बयान	स्टाम्प की कीमत	खरीदने वाले का नाम	खरीदने वाले का पता

GOVERNMENT OF PONDICHERRY

ABSTRACT

Health and Family Planning Department—Appointment of Dr. S. Anandavelu as Assistant Surgeon—Notification —Issued.

Health, Education & Welfare Department

Pondicherry-1, the 13th May 1971

Read :

Endorsement No. 384/DHFPS/Estt/3-227/21 dt. 3-5-1971 from the Director of Health & Family Planning Services, Pondicherry.

Order :

The following notification will be published in the Gazette of Pondicherry :—

G.O.(Ms) No. 80/71-Health.—Dr. S. Anandavelu, M.B., B.S., is temporarily appointed to officiate on *ad hoc* basis as Assistant Surgeon in the Health & Family Planning Department with effect from the forenoon of 1st March, 1971 until further orders.

(By Order of the Lieutenant Governor)

R. RAMANUJAM
Under Secretary to Government

ABSTRACT

Public Services—Pondicherry Civil Service—Posting and Transfers—Thiruvalargal M. Kannan and P. Kothandapani—Notified.

Appointments Department

Pondicherry, the 18th May 1971

G.O.Rt. No. 135.—Thiru M. Kannan, Director of Harijan and Social Welfare, Pondicherry, is transferred and posted as Administrator, Yanam, with effect from the afternoon of 30th April 1971 *vice* Thiru P. Kothandapani transferred.

Thiru Francois de Condappa, Under Secretary to Government, Health, Education & Welfare Department is appointed to hold full additional charge of the post of Director of Harijan and Social Welfare, Pondicherry *vice* Thiru Kannan, transferred.

Thiru P. Kothandapani, Administrator, Yanam, is transferred and posted as Director of Harijan and Social Welfare, Pondicherry, with effect from the forenoon of 5th May 1971 *vice* Thiru Francois de Condappa holding additional charge of the post.

(By Order of the Lt. Governor)

S. SEETHARAMAN
Under Secretary to Government

ABSCTRACT

PUBLIC SERVICES—Appointment of Thiru L. Sridharan, Under Secretary (Finance) to hold full additional charge of the post of Director, Government Press, Pondicherry—Orders issued.

Finance Department

Pondicherry, the 18th May 1971

Order :

The following notification will be published in the official Gazette :—

G.O.Rt. No. 138/71/*F.*2.—Thiru L. Sridharan, Under Secretary to Government, Finance Department, is appointed to hold full additional charge of the post of Director Government Press, Pondicherry, from 9th to 30th May, 1971 (both days inclusive) *vice* Thiru S. Anant Doss proceeded on leave.

(By Order of the Lt. Governor)

R. LAKSHMIKANTHAN
Under Secretary to Government

UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI

No. ADM/LAW/53(26)(ii)—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Court Fees Act, 1870 and Section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), I, Nakul Sen, Administrator, Dadra and Nagar Haveli, do hereby make the following rules, for regulating the supply and sale of stamps, for determining the persons by whom such sale is to be conducted and for prescribing the duties and remuneration of such persons in Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, namely :—

1. *Short Title.*—These rules may be called the Dadra and Nagar Haveli Stamps Supply and Sales Rules, 1970.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(b) "Vendor" means a stamp Vendor appointed under these rules.

PART I

Rules for the sale of stamps used in payment of duty under the Indian Stamp Act, 1899

3. *Appointment of ex-officio vendors.*—(1) The Administrator may appoint certain officers to be *ex-officio* vendors.

(2) The treasurer of the Central Treasury Silvassa shall be an *ex-officio* vendor.

(3) Ex-officio vendors shall sell such stamps as they may be directed by the Administrator.

4. *Appointment of licensed vendors.*—(1) The Collector or any other officer empowered by the Administrator in this behalf may appoint certain persons to be licensed vendors.

(2) Licensed vendors shall sell such stamps and of such values as may be specified in their licences.

(3) Licensed vendors holding licences for sale of stamps shall sell stamps between 10.45 A.M. to 4.45 P.M. on week days.

5. *Sanction of Administrator for grant of licence, exceeding in value Rs.* 250.—Whenever it is deemed necessary for the convenience of the public that a licence should be granted for the sale of stamps embossed or engraved on stamped paper exceeding in value Rs. 250 the sanction of the Administrator shall be obtained.

6. *Form of licence.*—Every licence granted under Rule 4 shall be in the form in Schedule A.

7. *Revocation of licence.*—Every licence shall be revocable at any time by the Administrator or by the authority granting it.

8. *Rates of discount.*—(1) The rates of discount specified in Schedule (B) shall be allowed to licensed vendors.

(2) Licensed vendors shall not be allowed any discount on the purchase of stamps embossed or engraved on stamped paper exceeding in value Rs. 250 each.

(3) No discount on the sale of stamps shall be granted to the public.

9. *Endorsing on stamps and making entries in register.*—(1) Every ex-officio vendor or licensed vendor shall, with his own hand, write, on the face of every

stamp embossed or engraved on stamped paper which he sells, just below the stamp impression, a serial number, the date of sale, the name and residence of the purchaser (*i.e.* of the person for whom the stamp is brought) the value of the stamp in full in words and his own ordinary signature, at the same time, he shall make corresponding entries in a register to be kept by him in the form in Schedule C.

(2) No ex-officio or licensed vendor shall knowingly make a false endorsement on the stamps sold or a false entry in his register.

10. *Signature or thumb impression to be affixed by purchaser.*—(1) Every ex-officio or licensed vendor shall, whenever any person purchases a stamp embossed or engraved on stamped paper, require the purchaser to affix, if he is a literate person, his signature and if he is an illiterate person, his thumb impression under such vendor's endorsement of sale on the stamp and also opposite the entry relating to the sale in the register kept under rule 9 (*vide* instructions in Schedule D).

(2) No new licence to sell stamps embossed or engraved on stamped paper shall be granted and no expired licence shall after a time to be specified in this behalf be renewed, except on satisfactory proof that the applicant or licensee is able to take a clear thumb impression.

11. *Vendor to furnish single stamp or smallest stamp of required value.*—(1) Whenever an application is made to an ex-officio or licensed vendor for stamps embossed or engraved on stamped paper of a specified value and not exceeding the highest value which such stamp vendor is authorised to sell he shall, if he is able, furnish a single stamp of the required value.

(2) If such vendor is unable to furnish a single stamp embossed or engraved, on stamped paper of the required value, he shall supply the purchaser with the smallest number of such stamps which he can furnish so as to make up the required value.

12. *Vendor not to sell two or more stamps exceeding Rs. 250 for duty on a single instrument.*—(1) All stamps exceeding Rs. 250 in value required for a single instrument shall be purchased direct from the Central Treasury Silvassa.

(2) No licensed vendor shall sell to the public two or more stamps of lower value for use in place of one of a value higher than Rs. 250 required for the purpose of stamp duty on a single instrument.

(3) Every licensed vendor shall hang up a notice in his place of vend showing that stamps exceeding Rs. 250 in value or an aggregate of stamps exceeding Rs. 150 in value required for the purpose of stamp duty on a single instrument shall be purchased from Central Treasury Silvassa, and licensed vendors, are forbidden to sell two or more stamps of lower value for use in place of one of a value higher than Rs. 250 required for the purpose of stamp duty on a single instrument.

13. *Vendor to deliver the stamp without delay and not to accept any consideration exceeding the value of stamps.*—Every licensed vendor shall, without delay deliver any stamp which he has in his possession for sale on demand by any person tendering the value thereof in any currency which would be accepted on behalf of the Administrator by the Collector. A licensed vendor shall not demand or accept for any stamp any consideration exceeding the value of such stamp.

14. *Vendor not to sell discontinued stamps.*—No ex-officio or licensed vendor shall sell any stamps the use of which has been ordered by competent authority to be discontinued.

15. *Accounts to be maintained by Vendors.*—The accounts to be kept and rendered by licensed vendors shall be in accordance with the forms prescribed by the Administrator.

16. *Execution of security bond.*—(1) All licensed vendors shall execute a security bond in the form in Schedule E.

(2) The amount of the security shall be fixed in each case by the Collector or other authority granting the licence, but as stamps will ordinarily be supplied to the licensees only on payment of ready money, it shall not be excessive.

17. *Delivery to be made by vendor and payments to be made for such stamps.*—(1) A licensed vendor :—

(a) may deliver up any stamps in his possession either on application for leave to do so or on resigning his licence, and

(b) shall deliver up all stamps embossed or engraved on stamped paper remaining in his possession on demand made at any time by the Collector or other Officer duly authorised by the Administrator in this behalf.

(2) Payment of the value of stamps paid for by a licensed vendor and delivered up, shall be made subject to deductions as follows, namely :—

(a) A deduction of 0.06 paise in the rupee or a fraction of a rupee of the full value of all stamps delivered up in the following circumstances, *viz* :—

(i) on resignation by the vendor of his licence;

(ii) on revocation of the licence for any fault on the part of the licensed vendor;

(iii) on application by the licensed vendor for leave to return any stamps in his possession;

(b) A deduction only of the discount, if any, allowed on purchase by the vendor on stamps delivered up in the following circumstances, *viz* :—

(i) on the expiry of the licence;

(ii) on the recall of the stamps by the Administrator;

(iii) on the revocation of the licence for any cause other than a fault on the part of the licensee;

(iv) on the death of the licensed vendor :

Provided that application for refund of the value of stamp, delivered up under this rule shall ordinarily be made within six months of the date of the resignation or death of the licensed vendor or the revocation of the licence but in special cases, the sanctioning authority may accept an application made within two years of such date.

PART II

Rules for the supply of court fee stamps

18. *Appointment of licence vendors.*—(1) The Collector or any other officer appointed by the Administrator in this behalf may appoint licensed stamp vendors for sale of court fee stamps.

(2) Licensed vendors holding licences for sale of stamps shall sell stamps between 10.45 P.M. on week days.

19. *Limit for sale of court fee stamps.*—No licensed vendor shall sell any impressed court fee stamps of the value of 125 rupees or upwards except under a licence granted to him in this behalf with the previous sanction of Administrator.

20. *Form of licence and its revocability.*—Every licence shall be revocable at any time by the Administrator or

by the authority granting it. Every licence shall specify the names of the licensee, the description of stamps which may be sold under the licence and the place of vend, and it shall be signed by the authority granting it. Licence shall be in the form in Schedule F.

21. *The rates of discount.*—Licensed vendors of Court fee stamps shall receive the following rates of discount :—

Kinds of stamps	*Rate of discount*
On stamps of the value of Re. 1 or less ..	0-94 Paise
On stamps of the value of more than Re. 1 but less than Rs. 125 each ..	0-70 Paise

22. *Purchase of stamps by vendors by cash payments.*—Licensed vendors will be required to pay cash for court fee stamps purchased by them. No discount shall be given on account of purchase by a vendor of any stamp of Rs. 125 or upwards in value.

23. *Endorsing on stamps and making of entries in a Register.*—(1) In case of court fee adhesive stamps every ex-officio or licensed vendor shall write, with his own hand in the blank space provided for in the body of the stamp the name of the purchaser, the date of sale and his signature.

(2) In the case of court fee impressed stamp, every licensed vendor shall write, on the back of every such stamp which he sells, the date of sells, the name of the purchaser and the value of stamp in full words and his own ordinary signature.

(3) He shall at the same time make corresponding entries in respect of court fee adhesive and impressed stamp in a register to be kept by him in the form prescribed in rule 28. No such vendor shall knowingly make a false endorsement on the stamps sold or a false entry in his register.

24. *Vendor to deliver stamp without delay.*—Every licensed vendor of Court fee stamps shall, without delay, deliver any stamps which he has in his possession for sale on demand by any person tendering the price thereof.

25. *Vendor not to sell discontinued stamps.*—No ex-officio or licensed vendor shall sell any stamps the use of which has been ordered by a competent authority to be discontinued. On returning such stamps to the depot within six months from the date of such order of discontinuance he shall be entitled to receive back the value thereof, less any discount which may have been allowed.

26. *Accounts to be maintained by vendor.*—Every vendor shall keep and render such accounts as may be prescribed by the Administrator and shall allow the Collector or any officer duly authorised by such Collector or by the Administrator at any time to inspect such account and the register which he is required to keep under rule 23 and to examine the stock of stamps in his possession.

27. *Delivery to be made by vendor and payments to be made for such delivery.*—(1) Every vendor—

(a) shall on demand made at any time by the Collector or other officer duly authorised by the Administrator and

(b) may

(i) on application for leave to do so, or

(ii) on resigning his licence, deliver up all stamps remaining in his possession.

(2) Payment of the value of stamps which have been paid for by a vendor and delivered up shall be made subject to deductions as follows :—

(a) A deduction of 0.06 paise in the rupee or a fraction of a rupee of the full value of all stamps delivered up in the following circumstances *viz.* :—

(i) on resignation by the vendor of his licence;

(ii) on revocation of the licence for any fault on the part of the licensed vendor;

(iii) on application by the licensed vendor for leave to return any stamps in his possession;

(b) A deduction only of the discount, if any, allowed on purchases by the vendor on stamps delivered up in the following circumstances :—

(i) on the expiration of the licence;

(ii) on the revocation of the licence for any cause other than a fault on the part of the licence;

(iii) on the death of the licensed stamp vendor :

Provided that application for refund of the value of stamps delivered up under this rule shall ordinarily be made within six months of the date of the registration or death of the licensed vendor or the revocation of the licence but in special cases, the Collector, may accept an application made within one year of such date.

28. *Form of Register to be kept.*—The register required to be kept under rule 23 shall be in the form in Schedule G.

29. *Security for ex-officio Vendors.*—An ex-officio vendor of court fee stamps may be required to give security for the proper performance of his duties if it appears necessary to the head of the office in which the vend of stamps is to be conducted. The terms of the bond may be specially framed to meet the requirements of the case.

Cabo Raj Niwas,
Caranzalem,
Panaji dated 20-8-70.

NAKUL SEN
Administrator,
Dadra and Nagar Haveli

SCHEDULE A

(*See* Rule 6)

Form of Licence

"To (here enter the name of Licensee)

Licence No.

GRANTED UNDER THE INDIAN STAMP ACT, 1899

Date.....

You are hereby authorised to sell stamps of the following description (that is to say) (here insert description of stamps) at (here insert the number of the house and name of street, etc. at which the stamps are to be sold) in the (here enter/place/subject to the provisions of the Indian Stamp Act, 1899) (II of 1899), and the rules made thereunder for the time being in force.

(Signed) .....
Collector
(or other officer empowered under Rule 4)

SCHEDULE B

(*See Rule* 8)

Rates of discount to be allowed to licensed vendors :

Kind of stamps	Where stamps are sold by ex-officio vendors	Where stamps are not sold by ex-officio vendors
Non-Judicial stamps	Per cent Rs. P.	Per cent Rs. P.
Adhesive Stamps		
On stamps not exceeding in value Rs. 0·50 p. each, in quantities of not less than Rs. 5 in amount	2-81	3-75
On stamps exceeding in value Rs. 0·50p. each, but not exceeding in value Rs. 5 each in quantities of not less than Rs. 50 in amount	1-40	1-87
On stamps exceeding in value Rs. 5 each, but not exceeding in value Rs. 50 each, in quantities of not less than Rs. 100 in amount	0-94	0-94
Impressed Stamps		
On stamps embossed or engraved on stamps papers including such stamps bearing the word 'Hindi'	2-81	3-75

SCHEDULE C

(*See Rule* 9)

Form of Register

Date	Serial No.	Description of stamps	value of stamps	Name of purchaser	Residence of purchaser	Signature or left thumb mark of the purchaser or his agent

SCHEDULE D

(*See* Rule 10)

Instructions to vendors in connection with the taking of the thumb impression of purchasers of stamped papers

1. Every purchaser of stamp embossed or engraved on stamped paper should be invited to affix if he is a literate person, his signature and if he is an illiterate person the rolled impression of the ball of his left thumb on the stamp itself below the vendors endorsement of the sale, in the case of Hundi stamped paper, on the reverse of the top and in the case of other stamps, on the face of the stamp and also opposite the sale entry in the vendor's sale register.

NOTE.—Pardanashin ladies also should in all cases be invited to affix the impression of their thumb work.

2. If an illiterate purchaser has lost his left thumb or if his left thumb is so deformed or diseased that he cannot use it, the impression of the ball of his right thumb or of any finger may be taken instead. In such cases a note should be made below the impression stating which finger of the left hand, or thumb or finger of the right hand, has been used in making it and explaining why the impression of the left thumb was not taken. The fingers of the hand should be described (commencing with that next the thumb) as the first or forefinger, the second or middle finger, the third or ring finger, and the fourth or little finger.

3. Ex-officio vendors will be supplied by the stationery Department on indent with one or two tin plates, a roller and printing ink. A drop or two of printing ink should be put on the plate and by means of the roller and with the aid or a drop or two kerosene oil it should be spread over the plate evenly. The layer of ink should not be so thick as not to allow the colour of the plate to show through it. The purchaser's left hand should be taken and the ball of the thumb after being wiped should be laid on the inked plate and rolled from side to side (not rubbed) and pressed gently but firmly with the operator's own hand until sufficiently inked, and the inked thumb should then be placed and lightly and carefully, rolled on the paper on which the impression is to be taken in such a way that the pattern of the whole ball of the thumb from side to side is clearly impressed on it. The thumb should be inked afresh for each impression. It must be specially borne in mind that any reverse movement either at the time of applying or removing the thumb will cause a smudge and spoil the impression.

4. The affixing of a thumb impression should be carried out under the immediate personal supervision of the vendor, who should affix his initials against each impression.

5. The roller must, when not in use, be hung up by the handle, the barrel not touching anything and kept in a cool place. In the morning following the day on which the roller has been used it should be cleaned by being first washed in water with washing soda dissolved in the latter and finally by being washed in water alone.

SCHEDULE E

(*See* Rule 16)

Known all men by these presents that we A.B., residents of..... and C.D., residents of..... are jointly and severally held and firmly bound unto the President of India, (hereinafter referred to as the President) in the sum of Rs. ..... of good and lawful money current in India to be paid to the Administration of Dadra and Nagar Haveli, or his certain attorney, agents, successors or assigns, for which payment well and truly to be made we jointly and severally bind ourselves and each of us, and our respective heirs, executors, administrators and representatives by these presents Sealed, with our respective seals.

Dated this day of in the year of Christ One thousand Nine hundred, and

Whereas according to the provisions of the rules in this behalf framed under Section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 the above bounder A.B. has been duly appointed to vend at the stamps on the part of Administration, and whereas the above bounder C.D. and E.F. have agreed to join with the said A.B. in the above written bond or obligation, or subject to the conditions hereunder written as the surety or sureties of the said A.B. for his strict observance, for and during all the time that he the said A.B. has been or shall continue to be such vendor of stamps, of the duties of his said office and of all and every rule authorised by or referred to in the said Act to be observed by all vendors of stamps according to the true intent and meaning of the said rules, and every one of them, and also for his *i.e.* the said A.B.'s strict observance, for and during all the time that he shall continue to be such vendor of stamps, of such future acts, with such penalty and after such form as may be required by

the Collector of Dadra and Nagar Haveli. Now the condition of the above written bond or obligation is such, that if the above bounder A.B. has, for and during all the time that he the said A.B. has been such vendor of stamps as aforesaid, well, truly, faithfully, and diligently done, executed and perform and shall for and during all the time that he the said A.B. shall continue to be the vendor of stamps, well, truly, faithfully, and diligently do, execute and perform all and every duty belonging to the said office of vendor of stamps and has faithfully, justly and exactly observed, performed, fulfilled and kept, and shall faithfully, justly and exactly observe, perform, fulfil and keep all and every rules mentioned or referred to in the said Act to be observed by all vendors of stamps according to the true intent and meaning of the said rules and every one of them, and also if the said A.B. shall well and truely observe, perform, fulfill and keep such future acts, with such penalty and after such form as may be required by the Collector of Dadra and Nagar Haveli according to the true intent and meaning of the said mentioned Act; and if the said A.B., his heirs, executors or administrators shall indemnify and keep and save harmless the administration, his successors and assigns of and from all loss and losses, damage and damages, which has or have happened or accused to, or been sustained by him, the Administration or which may or shall happen or accrue to, or be at any time or times sustained by him, the Administration his successors or assigns by, from or through, or by means of the neglect, default, insolvency or misconduct of him the said A.B., his executors or administrators or agents or his or their executors or administrators not fully accounting for and paying to the Administration his successors or assigns, what may be justly due and owing to him by the said A.B. as vendor of stamps as aforesaid or through or by means of the neglect misconduct, omission or insolvency of the said A.B., as such vendor of stamps, as aforesaid and also shall well and truly pay or cause to be paid into the hands of the Collector of Dadra and Nagar Haveli for the time being, or to such other officer or perform as the Administrator shall from time to time direct or appoint any penalties, forfeitures, dues or other sums of money which now been or shall or may be at any time hereafter incurred, or any penalties which may become payable by the said A.B., as such vendor of stamps, under or by virtue or by reason of the rules, or by any of them or by any such future Rule or Act, Rules or Acts as shall hereafter be in that behalf passed in due form of law, relating to the said duties of vendors of stamps when and so often as all or any such penalties forfeitures, dues and other sum or sums of money shall be so incurred or become payable by the said A.B. then this obligation to be void and of no effect, but otherwise to be and remain in full force and virtue.

Signed, sealed and delivered at in our presence.

Signed A.B.
C.D.
E.F.

SCHEDULE F

(*See* rule 20)

No.

To Date

Licence

You are hereby authorised to sell court fee stamps of the following descriptions that is to say (here insert description of stamps) at (here insert the number of the house and the name of the street or court, or district, or locality, and the name of the office wherein the stamps are to be sold) according to rules made under Section 34 of the Court Fees Act, 1870.

(Signature of the Officer granting the licence).

NOTE.—This licence is revocable at any time by the officer granting it.

SCHEDULE G

(*See Rule* 28)

Form of Register

Date	Description of stamps	Value of stamps	Name of purchaser	Residence of purchaser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971